

कार्यालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 1098/6-207 (2018-19), दिनांक: 08 जून, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या-01, 2018) के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक:-31.05.2018 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं शासनादेश संख्या:-140/30(2)/18/30(13)/2018, दिनांक:-25 मई, 2018 के अनुक्रम में निम्नांकित कार्मिकों को एतद्वारा निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	वर्तमान तैनाती मण्डल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती स्थल	अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया
01	श्री हरीश लाल वर्मा	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	आयुक्त कार्यालय, नैनीताल	आयुक्त कार्यालय, पौड़ी	धारा 6 (क)
02	श्री नरेन्द्र सिंह रावत	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	आयुक्त कार्यालय, पौड़ी	आयुक्त कार्यालय, नैनीताल	धारा 6 (ग)

स्थानान्तरण अधिनियम में प्रावधानित विधियों के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करने के उपरान्त स्थानान्तरण किया गया है।

निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण के फलस्वरूप क्रमांक 02 पर अंकित श्री नरेन्द्र सिंह रावत को कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

स्थानान्तरित कार्मिक को संबंधित मण्डलायुक्त नवीन तैनाती कार्यालय हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं स्थानान्तरित कार्मिक अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत एक सप्ताह अंदर नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक: 08-06-2018।

ह0/-
(एस0 रामास्वामी)
अध्यक्ष

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून को मा0 अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पौड़ी।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा मण्डलायुक्त।

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्
08.06.2018